राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

लादू बनाम सीमा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	1150/2024	
17/11/2025	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 24/11/2025 को पेश हो।	
24/11/2025	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1/अप्रार्थी द्वारा एक वाद बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अपीलार्थी एवं रेस्पो. संख्या 2 लगा. 10 के विरुद्ध इस आशय का प्रस्तुत किया कि राजस्व ग्राम खटवाडा, पटवार हल्का महापुरा, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र भांकरोटा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर स्थित भूमि साबिका खसरा नम्बर 614 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा, 615 रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा, 616 रकबा 12 बिस्वा, 617 रकबा 5 बिस्वा, 618 रकबा 2 बिस्वा, 619 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा, 620 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, 621 रकबा 6 बीघा 9 बिस्वा एवं 615/645 रकबा 3 बिस्वा कुल किता 9 कुल रकबा 19 बीघा 19 बिस्वा सम्वत् 2015 से 2034 की जमाबंदी में "भैरू वल्द भागीरथ कौम मीना सा. देह" अंकित है जो प्रार्थीयां एवं प्रारूपिक अप्रार्थी संख्या 5 व 6 की माता स्व. कमला देवी के पिता एवं अप्रार्थी सख्या 1 व 2 के पिता एवं अप्रार्थी संख्या 3 के दादा एंव प्रारूपिक अप्रार्थी संख्या 7 व 8 के पिता थे। यह कि प्रार्थीयां एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगा. 3 एवं प्रारूपिक अप्रार्थी संख्या 5 लगा. 8 ग्रामीण काश्तकार पेशा अनुसूचित जनजाति मीणा समाज से सम्बन्धित है, जो प्रार्थीयां की माता स्व. कमला व अप्रार्थी 1,2 व 7,8 के पिता और अप्रार्थी संख्या 3 के पिता यह स्व. चौक वल्द भागीरथ मीणा की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि थी, जो उनके देहान्त के पश्चात् अकेले उनके चार पुत्र अप्रार्थी संख्या 1 लादू, रामपाल, प्रहलाद, हनुमान के नाम खातेदारी में अंकित कर दी गयी एवं रामपाल पुत्र भैंरू के ना-औलाद फौत होने पर उनके 1/4 हिस्से की भूमि उनके भ्रातागण लादू, प्रहलाद, हनुमान के नाम अंकित की गयी जिसके अनुसार आवेदन के पैरा संख्या 3 में अंकित भूमि जिसके पैरा संख्या 6 में नवीन खसरा नम्बरान 1090 रकबा 1.22 हैक्टेयर, 1091 रकबा 0.17 हैक्टेयर, 1092 रकबा 0.08 हैक्टेयर, 1093 रकबा 0.06 हैक्टेयर, 1094 रकबा 0.55 हैक्टेयर, 1095 रकबा 1.13 हैक्टेयर, 1098 रकबा 1.03 हैक्टेयर, 1099 रकबा 1.03 हैक्टेयर, 1100 रकबा 0.08 हैक्टेयर कुल किता 9 कुल रकबा 5.35 हैक्टेयर कायम किये गये में अप्रार्थी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा समस्त राजस्व भू-अभिलेखों में संयुक्त खातेदारी में अंकित किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 के नाम अंकित भूमि ही माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये जा रहे वाद एवं आवेदन में विवादेत	

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	लादू बनाम सीमा हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11/10/2024		

सम्पति हैं। विवादित भूमि में प्रार्थीयां ने अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा हेतु वाद प्रस्तुत किया |

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत होने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थी/रेस्पो. संख्या 1 की एकपक्षीय बहस समायत करते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 18/07/2024 पारित करते हुए एकपक्षीय अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के माध्यम से अप्रार्थीगण को आगामी तारीख तक के लिए पाबन्द फरमा दिया गया | जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रार्थना पत्र धारा-5 कानून मियाद के साथ इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी | जिसमे उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी |

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि विवादित भूमि जो अपीलार्थी के पिता स्व. श्री भैरू वल्द भागीरथ मीना के कब्जे काश्त की भूमि थी एवं उनके चार पुत्र व तीन पुत्रीयां थी | उनकी मृत्यु लगभग 50 वर्ष पूर्व हो गयी थी | उसके बाद उक्त भूमि उनके चार पुत्र अपीलार्थी व रामपाल, प्रहलाद, हनुमान के नाम अंकित की गयी | उस समय उनकी पुत्रियो द्वारा कोई आपत्ति नही की गयी थी तथा रेस्पो. संख्या 1 की माता स्व. कमला की मृत्यु लगभग 30 वर्ष पूर्व हो गयी थी एवं स्व. कमला द्वारा अपने जीवनकाल में उक्त इन्द्राज के सम्बन्ध में कभी कोई आपत्ति नही की गयी एवं स्व. भैरू की अन्य पुत्रीयो द्वारा आज तक कोई आपत्ति नही की गयी है | उक्त विवादित भूमि के तकासमें के वक्त किसी के द्वारा कोई आपत्ति जाहिर नही की गयी | विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों के अनुसार मीना जाति में कृषि आराजीयात के सम्बन्ध में पुत्रीयो का कोई हक़ व अधिकार नही बनता है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा क़ानूनी प्रावधानों का अध्ययन एवं मनन किये बगैर अपीलाधीन आदेश पारित करने में गम्भीर विधिक त्रुटी कारित की है | अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी एवं अन्य अप्रार्थी को प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के सन्दर्भ में तामील करवाये बगैर ही दिनांक 13/11/2024 को मूल वाद अनुसार प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में एकपक्षीय कार्यवाही करने में गम्भीर क़ानूनी एवं प्रक्रियात्मक त्रुटी कारित की है जबकि कानूनन प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के सम्बन्ध में नोटिस मजरिये अदालत जारी होने के पश्चात उक्त नोटिस के अनुसार ही तामील के बिन्दु को तय किया जाना आवश्यक होता है एवं उक्त क़ानूनी प्रक्रियां की पालना करना अधीनस्थ न्यायालय के लिये बाध्यकारी था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि में निहित प्रावधानों के अनुसरण में नोटिस के माध्यम से तामील करवाये बगैर ही अपीलार्थी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करने में तथ्यात्मक त्रुटी की है | अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करते

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	लादू बनाम सीमा हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	1150/2024	

वक्त एवं उसे यथावत कायम रखे जाने में व्यवहार प्रक्रियां संहिता के आदेश 39 नियम 3 के आज्ञापक प्रावधानों की स्पष्ट रूप से अवेहलना की गयी है | अधीनस्थ न्यायालय के लिये यह आवश्यक था कि वे 30 दिवस में युक्तियुक्त आदेश पारित करते किन्तु ऐसा नही कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटी कारित की गयी है | अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश की जानकारी अपीलार्थी को पूर्व में नही हो सकी क्योकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को नोटिस जारी किये बगैर एवं सूचना दिये बगैर अपीलार्थी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में ला दी गयी जो कानूनन गलत है | अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर भी गौर नही किया गया कि विवादित भूमि अनुसूचित जनजाति की आराजी है जिसमे पुत्रीयो को कोई कानूनन अधिकार नही है | अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 18/07/2024 का राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में माह नवम्बर 2024 में लम्बी अवधि उपरान्त करवाये जाने से एवं कैवियट प्रस्तुती के नोटिस प्राप्त होने से अपीलार्थी को सर्वप्रथम अपीलाधीन आदेश की जानकारी हुई है एवं अपीलाधीन आदेश की जानकारी अपीलार्थी को दिनांक 18/11/2024 को होते ही अपीलार्थी द्वारा नकल प्राप्त कर जानकारी से अन्दर मियाद अपील पेश कर दी है | अपील पेश करने में हुई देरी जानबूझकर नही होकर मात्र जानकारी के अभाव में हु है, जिसे माफ़ किया जाकर अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जाकर गुणावगुण पर निर्णित किया जाना क़ानूनी आवश्यक है | अत: अपील अन्दर मियाद शुमार करते हुए स्वीकार फरमाई जावे |

अधिवक्ता रेस्पो. ने अपनी बहस में निवेदन किया कि रेस्पो. ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु वाद प्रस्तुत किया गया,जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 18/07/2024 के विरुद्ध अपीलार्थी ने इस न्यायालय के समक्ष मियाद बाहर अपील प्रस्तुत की गयी है | अपीलार्थी द्वारा मात्र यह कथन किया गया है कि अपीलार्थी की जानकारी में आते ही अपील प्रस्तुत कर दी गयी जबकि अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत करने के तीन माह पूर्व ही अपीलार्थी को सम्पूर्ण जानकारी हो गयी थी | अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम आदेश की अपील प्रस्तुत नही की जा सकती है, जिस कारण इस न्यायालय के समक्ष अपील मेटेनेबल ही नही है | अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सभी तथ्यों का संज्ञान लेकर सही रूप से अपीलाधीन आदेश पारित किये है जिसमे कोई तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटी नही होने से अपील मियाद बाहर धारित करते हुए ख़ारिज फरमायी जावे |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

लादू बनाम सीमा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	1150/2024	

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किये जाने से यह स्पष्ट होता है कि पक्षकारान मीना जाति से है एवं इस सन्दर्भ में अपीलार्थी द्वारा उद्धरित तथ्य प्रथमदृष्टया विधिसम्मत जाहिर होते है कि मीना जाति में कृषि आराजीयात के सन्दर्भ में पुत्रीयो को अधिकार सृजित नही होते है | इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से अपीलार्थी द्वारा बहस में उद्धरित यह तथ्य भी स्वीकार योग्य जाहिर होते है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विचाराधीन प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के सन्दर्भ में अपीलार्थी को नोटिस जारी किये बगैर ही उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी है, जो विधिक प्रक्रियाओ एवं क़ानूनी प्रावधानों के अनुरूप नही होना जाहिर करता है | इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकपक्षीय अपीलाधीन आदेश पारित करने के उपरान्त व्यवहार प्रक्रियां संहिता के आदेश 39 नियम 03 के आज्ञापक प्रावधानों की पालना नही की गयी है, जो उचित प्रतीत नही होता है | अत: ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र धारा-5 मियाद अधिनियम में अपीलार्थी को सर्वप्रथम अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने के तथ्य को अस्वीकार किये जाने का कोई कारण/आधार नही रह जाता है | इसके अतिरिक्त उद्धरित तथ्यों के आधार पर प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्तनीय क्षति का बिन्दु प्रकरण की इस स्टेज पर अपीलार्थी के पक्ष में जाहिर होता है | अत: अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा-5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील को जानकारी से अन्दर मियाद शुमार किया जाता है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 18/07/2024 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उभयपक्षों की सुनवाई कर व्यवहार प्रक्रियां संहिता के आदेश 39 नियम 03 के प्रावधानों का अनुसरण करते हुये प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का विधिसम्मत निस्तारण करे | तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 24/11/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर